Dispute regarding Sardar Sarovar Dam Project

255. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of disputes regarding sharing of expenditure of Rockfill dykes and link channels and also the expenditure on rehabilitation and resettlement of oustees among the participating States on the Sardar Sarovar Dam Project;

(b) whether any meeting has been arranged by Government involving the participating States to sort out the disputes;

(c) if so, the details thereof;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the effective steps likely to be taken by Government to resolve the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) According to Government of Gujarat, the expenditure on dykes and link channels is to charged to power component of Sardar Sarovar Project and the expenditure on resettlement & rehabilitation of oustees to be charged to Unit-I (Dam & Appurtenent works) of the project and thus, both these expenditures are to be shared by the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra as per Narmada Water Disputes Tribual Award. However, the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra do not agree with the contention of Gujarat Government.

(b) to (c) The matter was discussed in the sixth meeting of Review Committee for Narmada Control Authority on 23.8.1993 wherein it was decided that the concerned States would hold mutual discussions and arrive at a decision failing which the matter would be referred to the Attorney General for India for his opinion which will be final and binding on the party States.

राजीव सागर अन्तर्राज्यीय (बावनथड़ी) परियोजना का निर्माण

256. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा पर बहने वाली नदी पर सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए राजीव सागर अन्तर्राज्यीय (बावनथड़ी) परियोजना के निर्माण के लिए दोनों राज्य सरकारों के बीच कोई अनुबंध हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब हस्ताक्षर किये गये थे; इसकी कुल लागत कितनी है तथा इस परियोजना के पूरा होने की प्रत्याशित समय सीमा क्या थी;

(ग) क्या इस परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है; यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा इस परियोजना के पूरा होने पर कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी तथा कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन होगा; और

(घ) इस परियोजना से कितने लोग प्रभावित हुए हैं तथा उनके पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ग) जी हां। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने बावनथाड़ी अन्तर्राज्यीय परियोजना (राजीव सागर) के निर्माण के लिए 12.3.75 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। परियोजना की अनुमानित लागत 161.57 करोड़ रुपये है और इसके 2001 में पूरा होने की आशा है। परियोजना के पूरा होने पर महाराष्ट्र में 27708 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश में 29412 हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता सृजित हो जाने की परिकल्पना है। इस परियोजना में कोई विद्युत घटक नहीं है।

(घ) इस परियोजना से 2571 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार के वर्ष 1986 के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास अधिनियम, 1986 के अनुसार मूल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।